हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 01/2022 भगताराम बनाम मृतक दलपतसिंह का.मु. श्रीमती धर्मकंवर वगै	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 13.07.2022

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़
2. विप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता जेठाराम सिंहल

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 22.11.2016 को मृतक पक्षकार के कायम मुकाम को नोटिस जारी करने हेतु नियत थी। दिनांक 22.11.2016 को न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.12.2016 को उक्त अपील को पुनः बरामद करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सी पी सी का प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को उनके अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी द्वारा बता दिया गया कि उक्त आवेदन पत्र के नोटिस विप्रार्थीगण को तलबी हेतु भिजवाये जायेंगे जब उनकी तलबी हो जावेगी तब प्रार्थी को सूचित कर देंगे जिस पर प्रार्थी द्वारा विश्वास कर लिया गया। उसके बाद प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से जानकारी चाही तो बताया कि वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में कोरोना महामारी व्याप्त हो चुकी है इस कारण न्यायालय में लॉकडाउन चल रहा है तथा लॉकडाउन समाप्त होने पर न्यायालय में पता लगाकर आपको जानकारी दी जावेगी जिस पर प्रार्थी द्वारा विश्वास कर लिया गया। तत्पश्चात कई बार पत्रावली की जानकारी अपने अधिवक्ता से चाही गई तो उनके द्वारा हमेशा यही कहा जाता रहा कि अभी तब तलबी बकाया है आपको जब भी तलबी पूर्ण हो जावेगी तब आपको सूचित कर दिया जावेगा। अपीलकर्ता दिनांक 23.12.2021 को अपने अधिवक्ता के मार्फत जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.08.2021 को आवेदन पत्र अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है तब प्रार्थी द्वारा उसी दिन प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन किया गया जो प्रतिलिपि दिनांक 03.01.2022 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम आदेश दिनांक 27.08.2021 का ज्ञान हुआ जिससे क्षुब्ध होकर यह आवेदन पेश किया गया। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपील की अंतिम सुनवाई के समय न तो अदालत हाजा में वकील अपीलांट

उपस्थित थे, न ही उनका मुंशी हाजिर था और न ही स्वयं अपीलांट ही उपस्थित था। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा हस्तगत आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया जिसका कोई सदभाविक कारण नहीं दर्शाया गया। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RJT 2015(1) Page 378

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। हस्तगत आवदेन अपील को पुनः बरामद करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉविड काल में पारित आदेश परिसीमा को कंडोन करने के अनुसार अन्दर मियाद पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर